



फर्द अहकाम

नियम 26

अदालत.....सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक भादरा.....मुकाम.....भादरा.....

भीरादेवी बनाम अकरम आदि

न मुकदमा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट नं० 171/2022 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम की हुक्म तारीख जारी :
8.08.2022	<p>आज यह वाद जरिये वकील वादी के द्वारा पेश किया। रिपोर्ट सिंगेदार होने के बाद प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलवी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 09.09.2022 को पेश है।</p> 	
2.08.22	<p>पत्रावली हाउ वकील वादी की उपेक्षा पर पेशी के लिए गयी वकील वादी के वादीगण के बीच उपेक्षा पर प्रेश कर रजिस्टर किया है पत्रावली के शर्तनामा होने के कारण सभी हद पर सिद्ध करवाना महत्व है हाउ माल मालिकानी नही माहली पत्रावली का लागू होवलाकिना किना जगहा वकील वादी व वादीगण का उपेक्षा पर सीमात किया जाय पत्रावली के हद पर नोट प्रेश / सिद्ध की जायी है पत्रावली मभार के कस हदिए गोलिया</p> <p>6422</p>  <p>सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा</p>	